

कॉन्फ्रेंस ऑफ़ पार्टिज़ (COP) का 25वाँ सत्र संपन्न

परीलम्स के लयि:

COP-25

मेन्स के लयि:

COP-25 तथा संबधति तथ्य

चरचा में क्योँ?

हाल ही में जलवायु परविरतन पर संयुक्त राष्ट्र फरेमवरक (United Nations Framework Convention on Climate Change- UNFCCC) के अंतरगत शीर्ष नकियाय कॉन्फ्रेंस ऑफ़ पार्टिज़ (COP) के 25वें सत्र का आयोजन 2-13 दसिंबर, 2019 तक स्पेन की राजधानी मैड्रिड (Madrid) में कथिा गया ।

मुख्य बदि:

- स्पेन में आयोजति इस सम्मेलन की अध्यक्षता चलिी सरकार द्वारा की गई क्योँकि चलिी ने देश में आंतरकि कारणों के चलते वरिोध परदरशनों को देखते हुए इस सम्मेलन के आयोजन में असमर्थता जताई थी ।
- यह जलवायु वार्ता जलवायु परविरतन के एजेंडे में शामिल महत्त्वपूर्ण मुद्दों के बारे में बना कसिी नरिणय के समाप्त हो गई ।

COP-25 में उठाए गए कदम:

- COP-25 के अंत में लगभग 200 देशों के प्रतिनिधियों ने उन गरीब देशों की मदद करने के लिए एक घोषणा का समर्थन कथिा जो जलवायु परविरतन के प्रभावों से जूझ रहे हैं, हालाँकि उनहोंने ऐसा करने के लयि कसिी धन का आवंटन नही कथिा ।
- COP-25 की अंतमि घोषणा में 2015 के ऐतिहासकि पेरसि जलवायु परविरतन समझौते के लक्ष्यों के अनुरूप पृथ्वी पर वैश्वकि तापन के लयि उत्तरदायी ग्रीनहाउस गैसों में कटौती के लयि "तत्काल आवश्यकता" का आहवान कथिा गया ।
- वार्ताकारों ने वर्ष 2020 में ग्लासगो में होने वाले COP-26 के लयि कई जटलि मुद्दों को अनुत्तरति छोड़ दथिा ।
- इस वार्ता में वकिसशील देशों द्वारा बढ़ते तापमान के कारण होने वाली हानि के लयि उत्तरदायित्व संबंधी मुद्दों पर ज़ोर दथिा गया जसिका संयुक्त राज्य अमेरिका ने वरिोध कथिा ।
- पेरसि समझौते के अंतरगत एक नए कार्बन बाज़ार के लयि नयिमों को अगले वर्ष के लयि स्थानांतरति करने के साथ मैड्रिड वार्ता का कोई वशिष परणाम प्राप्त नही हुआ ।
- कुछ देश, वशिष रूप से बेहद संवेदनशील छोटे द्वीपीय देशों को वैश्वकि तापन के चलते बढ़ते हुए समुद्र जल स्तर के कारण डूब जाने का डर है, उनहोंने सभी देशों को उनके द्वारा जलवायु कार्रवाई योजनाओं को अद्यतन करने के लयि की जा रही वास्तवकि प्रकरयिओं को प्रतिबिबिति करने पर ज़ोर दथिा ।
- इस तरह की मांगों का मुख्य रूप से चीन, भारत और ब्राज़ील जैसे बड़े वकिसशील देशों ने वरिोध करते हुए तर्क दथिा कि कसिी भी नई प्रतिबिधता को तय करने से पहले वकिसति देशों द्वारा अपने अतीत और वर्तमान में कथिा गए वादों को पूरा कथिा जाए ।
- इन वकिसशील देशों ने बार-बार इस ओर ध्यान दलिया कि वर्तमान की यह स्थिति वकिसति देशों द्वारा कथिा गए अंधाधुंध वकिस का एक परणाम है, जो वर्ष 2020 के पूर्व की अवधि के लयि तय अपने लक्ष्यों को पूरा नही कर रहे हैं ।
- उनहोंने जलवायु कार्रवाई पर वकिसति देशों के प्रदरशन का आकलन करने की मांग की है, जसिमें उनका वकिसशील देशों के लयि वतित तथा प्रौद्योगिकी प्रदान करने का दायित्व भी शामिल है ।

कॉन्फ्रेंस ऑफ़ पार्टिज़ (COP) क्या है?

- यह UNFCCC सम्मेलन का सर्वोच्च निकाय है।
- इसके तहत वभिन्न प्रतिनिधियों को सम्मेलन में शामिल किया गया है।
- यह हर साल अपने सत्र आयोजित करता है।
- COP, सम्मेलन के प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक निर्णय लेता है और नियमि रूप से इन प्रावधानों के कार्यान्वयन की समीक्षा करता है।

पेरिस जलवायु समझौता:

- इस ऐतिहासिक समझौते को वर्ष 2015 में 'जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन फ्रेमवर्क' (UNFCCC) की 21वीं बैठक में अपनाया गया, जिसे COP-21 के नाम से जाना जाता है।
- इस समझौते को वर्ष 2020 से लागू किया जाना है। इसके तहत यह प्रावधान किया गया है कि सभी देशों को वैश्विक तापमान को औद्योगिकीकरण से पूर्व के स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं बढ़ने देना है (दूसरे शब्दों में कहें तो 2 डिग्री सेल्सियस से कम ही रखना है) और 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने के लिये सक्रिय प्रयास करना है।
- पहली बार विकासित और विकासशील देश दोनों ने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित अंशदान (INDC) को प्रस्तुत किया, जो प्रत्येक देश का अपने स्तर पर स्वेच्छा से जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिये एक वसितृत कार्रवाइयों का समूह है।

स्रोत- द हट्टि, द इंडियन एक्सप्रेस

PDF Refernece URL: <https://www.drishtiiias.com/hindi/printpdf/cop-25-1>

